डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विद्या परिषद् का 62वां उपवेशन

08 सितम्बर 2026

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

C - 02

Signature valid
Digitally signed by Sohan Lal
Designation : Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ दिनाँकः

कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 62वां उपवेशन दिनाँक **08.09.2026** को कुलगुरू महोदय प्रो.(वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल की अध्यक्षता में प्रातः **11.00** बजे व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए :-

1. प्रो.(वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल, कुलगुरू एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं चैयरमेन, आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष, रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, पीजीआईए, जोधपुर
3. प्रो. शाहिद अली खान, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
4. प्रो. ज्ञान प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ), पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. डॉ. मनोज कुमार अदलक्खा, एसो.प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
6. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
7. श्री सोहन लाल नागौरा, कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉफ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन उपस्थित हुए :-

8. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
9. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरड़ी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
10. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
11. प्रो. महेन्द्र प्रजापति, प्रोफेसर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय (डी-नोवो), जयपुर
12. प्रो. अब्दुल शकूर खान, प्रोफेसर, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
13. डॉ. आदित्येन्द्र विजय, एसो.प्रोफेसर, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर

Signature valid
Digitally signed by Sohan Lal
Designation : Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

सर्वप्रथम विद्या परिषद् दिनाँक **08** सितम्बर **2026** को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का कुलगुरू महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
1.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनाँक 18 जून 2026 के अनुपालना का अनुमोदन। **एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 के 1** में विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 23 फरवरी 2026 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 के 8(4) में विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस 14 मई, 2010 के O.24 "Control of Unfairmenas and Disorderly Conduct" में उल्लेखित पहलुओं पर पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव के लिए गठित समिति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	आगामी विद्या परिषद् में की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
	एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 के 3 में नवीन बी.एन.वाई.एस., बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2025-26 की सम्बद्धता शुल्क को सत्र 2026-27 में समायोजन करने एवं पुनः लौटाने हेतु निवेदन करने एवं अन्य पर कुलगुरू महोदय द्वारा गठित समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।	आगामी विद्या परिषद् में की गई कार्यवाही से अवगत करावें तथा वित्त एवं लेखा समिति में प्रकरण को रखे जाने का निर्णय किया गया।
	एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 के 6 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित छः महा, एक वर्षीय, द्वि-वर्षीय प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रमों का अकादमिक कलेण्डर तैयार करने के सम्बन्ध में कुलगुरू महोदय द्वारा गठित समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।	उक्त समिति को स्मरण-पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।
	एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 के 11(2) में वृद्धावस्था देखभाल सहायक (Old age care assistant) प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स हेतु गठित समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु स्मरण-पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।	उक्त समिति को स्मरण-पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।

Signature valid
Digitally signed by Sohan Lal
Designation : Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 के 11(4)(i) में पीजीआईए, जोधपुर में अध्ययनरत यूजी/पीजी अध्येताओं की महाविद्यालय एवं छात्रावास शुल्क समय पर जमा नहीं करवाने की स्थिति में पूर्व निर्धारित शुल्क 100 रूपये प्रति दिन यथावत रखने का अनुमोदन किया गया। विलम्ब शुल्क माफ करने हेतु सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को कमेटी के गठन हेतु अधिकृत किया गया।	शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
	एजेण्डा बिन्दु संख्या-11 में :- 1. नियमों के अनुसार, यूनिवर्सिटी के रेगुलर कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार की हेल्थ स्कीम (मेडिक्लेम) के लाभों को ठीक किया जाना चाहिए। साथ ही, राजस्थान सरकार की मेडिक्लेम योजना के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अस्पताल की OPD और IPD सर्विस कैटेगरी को अपग्रेड किया जाना चाहिए। 2. रेगुलर कर्मचारी पेंशन फंड से पैसे निकालने और वित्तीय गतिविधियों के लिए, PGIA के 4 प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एडवाइजर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।	1. उक्त सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की लेखाशाखा के स्तर पर परीक्षण कर प्रकरण पत्रावली पर कुलगुरू महोदय के समक्ष रखा जावे। 2. विद्या परिषद् के अनुमोदन के आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
	एजेण्डा बिन्दु संख्या-14 में देवव्यापश्रय चिकित्सा इकाई के अन्तर्गत दो सर्टिफिकेट कोर्स त्रैमासिक ज्योतिष एवं मंत्र चिकित्सा सर्टिफिकेट कोर्स बी.ए.एम.एस., बी.एन. वाई.एस., एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) में अध्ययनरत एवं बी.ए.एम.एस., बी.एन.वाई.एस., एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) डिग्री प्राप्तकर्ताओं के लिए संचालित किया जाना है।	उक्त पाठ्यक्रम हेतु सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय द्वारा एक एडवाईजरी बोर्ड एवं तकनीकी कमेटी के गठन हेतु अनुमोदित किया गया था। सर्वसम्मति से स्मरण-पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।

Signature valid
Digitally signed by Sohan Lal
Designation: Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

M e-Sign

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	---	शेष सभी एजेण्डा बिन्दुओं एवं वक्त उपवेशन के प्राप्त रिपोर्ट एवं चर्चा में कार्यवाही पूर्ण होने के कारण शेष सभी एजेण्डा बिन्दुओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	राज्य सरकार से नवीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सत्र 2026-27 एवं 2027-28 हेतु बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में आवेदन करने एवं नियमानुसार कार्यवाही कर विश्वविद्यालय द्वारा जारी **Consent of Affiliation form-29 E** तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद हेतु **Consent of Affiliation form-29 J** की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
3.	शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालयों को जारी सम्बद्धता आदेशों की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
4.	शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों की प्राप्त निरीक्षण/स्कुटनी रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों की प्राप्त निरीक्षण/स्कुटनी रिपोर्ट पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :- क्र.सं. | महाविद्यालय का नाम | सीटों की संख्या 1. | श्री भंवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती, सरदारशहर (चूरु) एन.सी.आई.एस.एम. के मानको के अनुरूप एक शैक्षणिक अधिकारी की न्यूनता के कारण प्रवेश | 57

Signature valid
Digitally signed by Sohan Lal
Designation: Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय		
			क्षमता में कमी की जाकर 57 सीटों पर प्रवेश की अनुमति की सहमति प्रदान की गई।	
		2.	पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर	57
		3.	शेखावाटी आयुर्वेद महाविद्यालय, पिलानी, जिला झुन्झुनू की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण तिथि के दिन शैक्षणिक/चिकित्सक अधिकारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से न्यून होने के कारण **सर्वसम्मति से औचक निरीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया।**	
		4.	शिरड़ी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुण्डियागढ़, किशनगढ़, रेनवाल जयपुर में एन.सी.आई.एस.एम. के मानको के अनुरूप एक शैक्षणिक अधिकारी की न्यूनता के कारण प्रवेश क्षमता में कमी की जाकर 57 सीटों पर प्रवेश की अनुमति की सहमति प्रदान की गई।	57
		5.	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय, चौमू, जयपुर की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण तिथि के दिन शैक्षणिक/चिकित्सक अधिकारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से न्यून होने के कारण **सर्वसम्मति से औचक निरीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया।**	
		6.	केशव आयुर्वेद कॉलेज, अकलेरा, झालावाड़ एन.सी.आई.एस.एम. के मानको के अनुरूप एक शैक्षणिक अधिकारी की न्यूनता के कारण प्रवेश क्षमता में कमी की जाकर	57

Signature valid
Digitally signed by Sohan Lal
Designation: Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय		
			57 सीटों पर प्रवेश की अनुमति की सहमति प्रदान की गई।	
		शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों की प्राप्त निरीक्षण/स्क्रुटनी रिपोर्ट पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-		
		1.	स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर एन.सी.एच. के मानको के अनुरूप दो शैक्षणिक अधिकारी की न्यूनता के कारण प्रवेश क्षमता में कमी की जाकर 90 सीटों पर प्रवेश की अनुमति की सहमति प्रदान की गई।	90
			1. **Materia Medica - 04**	26
			2. **Repertory - 02**	
			3. **Pediatrics - 04**	
			4. **Organon of Medicine - 04**	
			5. **Psychiatric - 04**	
			6. **Practice of Medicine - 04**	
			7. **Pharmacy - 04**	
		2.	युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण तिथि के दिन शैक्षणिक/चिकित्सक अधिकारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से न्यून होने के कारण **सर्वसम्मति से औचक निरीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया।**	

Signature valid
Digitally signed by Sohan Lal
Designation : Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
		शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी यूनानी महाविद्यालयों की प्राप्त निरीक्षण/स्कुटनी रिपोर्ट पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :- 1. राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर — 50 2. राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर एन.सी.आई.एस.एम. के मानको के अनुरूप दो शैक्षणिक अधिकारी की न्यूनता के कारण प्रवेश क्षमता में कमी की जाकर 54 सीटों पर प्रवेश की अनुमति की सहमति प्रदान की गई। — 54 शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों की प्राप्त निरीक्षण/स्कुटनी रिपोर्ट की पुनः परीक्षण हेतु निर्णयानुसार सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को समिति के गठन हेतु अधीकृत किया गया। साथ ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सम्बद्धता प्रदान करने हेतु कुलगुरू महोदय को सर्वसम्मति से अधीकृत किया गया।
5.	शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त राजकीय/निजी बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों की प्राप्त निरीक्षण/स्कुटनी रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को समिति के गठन हेतु अधीकृत किया गया। साथ ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सम्बद्धता प्रदान करने हेतु कुलगुरू महोदय को सर्वसम्मति से अधीकृत किया गया।
6.	कला आश्रम आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गोगुंदा, उदयपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के बी.ए.एम.एस./बी.एन.वाई.एस./बी. एससी. नर्सिंग आयुर्वेद की सम्बद्धता के सन्दर्भ में विचार-विमर्श।	संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 का निरीक्षण नहीं करवाए जाने के कारण एवं संस्था द्वारा किसी भी प्रकार पुनः निरीक्षण हेतु निवेदन नहीं किया गया। अतः संस्था की सम्बद्धता को सत्र 2026-27 में नहीं दिए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से किया गया।

Signature valid
Digitally signed by Sohan Lal
Designation: Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
7.	कला आश्रम आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गोगुंदा, उदयपुर से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों पर विचार-विमर्श।	उक्त प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति का निर्णय लिया गया :- 1. प्रो. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय। 2. प्रो. शाहिद अली खान, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय। 3. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता, होम्योपैथी संकाय। 4. प्रो. किशोरी लाल शर्मा, सदस्य, विद्या परिषद्। 5 डॉ. एकलव्य बोहरा, पूर्व अधिष्ठाता, योग संकाय।
8.	आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों में बी.एससी. नर्सिंग आयुर्वेद के शैक्षणिक कार्मिकों के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से समिति रिपोर्ट की अनुपालना करने का निर्णय लिया गया।
9.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा सिद्ध संकाय में संयुक्त तदर्थ समिति गठन परिनियम -11 के उप-बिन्दु-3 योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में दो विख्यात विशेषज्ञ प्रत्येक में एक विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिशित किया जाना है। समिति की सिफारिशें आयुर्वेद संकाय के समक्ष रखी जायेंगी।	परिनियम -11 के उप-बिन्दु-3 के अन्तर्गत निम्न दो विख्यात विशेषज्ञ को नामित किया गया :- 1. डॉ. एकलव्य बोहरा, पूर्व अधिष्ठाता, योग संकाय। 2. डॉ. आशुतोष चौधरी, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
10.	विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श। प्रबन्ध बोर्ड के उपवेशन में अनुमोदन पश्चात इस कार्यालय के पत्राक 750-54 दिनांक 16.04.2026 के तहत जारी किए गए संवीक्षा/उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तों में निम्नानुसार आशिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है:- 1. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में से जिन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उन सभी में संवीक्षा फार्म पुनर्मूल्याकन परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् ही संवीक्षा फार्म ऑनलाइन चालू किया जाना प्रस्तावित है। शेष नियम यथावत् रहेंगे।	1. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

Signature valid

Digitally signed by Sohan Lal
Designation: Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

C-016

M e-Sign

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	2. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा बी.ए.एम एस. तृतीय वर्ष (बैच-2021 से) अंतर्गत रिसर्च एण्ड स्टेटिक्स के पेपर में कुल 13 प्रश्न ही आते हैं, जिस कारण छात्र द्वारा सम्बन्धित पेपर 2 घंटे के अंतराल में ही सम्पन्न कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त विषय के पेपर का समय 03 घंटे के स्थान पर 02 घंटे किया जाना प्रस्तावित है।	2. एन.सी.आई.एस.एम, नई दिल्ली के मानकों की पालना सुनिश्चित करने हेतु कुलगुरू महोदय के द्वारा समिति का गठन किया जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
	3. दिनाक 18.06.2026 में आयोजित विद्या परिषद उपवेशन में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक 4313-19 दिनांक 11.09.2024 के तहत रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु कुलसचिव पत्राक रा.आ.वि./एके/एफ-3(AC)/2026/2880 दिनांक 19.08.2026 के तहत कुलगुरु महोदय द्वारा गठित कमेटी का गठन किया गया था। गठित कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत विद्या परिषद से अनुमोदन हेतु उक्त रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।	3. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
11.	विश्वविद्यालय के संघटक पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेद महाविद्यालय, जोधपुर के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	उक्त प्रस्ताव पर सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः- 1. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, पूर्व अधिष्ठाता, आयुर्वेद। 2. प्रो. चन्दन सिंह, प्राचार्य, पी.जी.आई.ए., जोधपुर। 3. प्रो. अशोक शर्मा, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sohan Lal
Designation: Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
12.	विश्वविद्यालय के संघटक युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी महाविद्यालय, जोधपुर के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक अधिकारी (यू.टी.बी.) पर 01 वर्ष में 10 अकादमिक अवकाश दिया जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिसे कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध बोर्ड में रखे जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
13.	प्रो. रवि शर्मा, विभागाध्यक्ष, म.मो.मा. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा पद विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों के एम.डी. अध्येताओं के निर्देशक मनोनयन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	एन.सी.आई.एस., नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप विश्वविद्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक रा.आ.वि./परीक्षा/2020/252 दिनांक 20.05.2020 की समीक्षा हेतु कुलगुरू महोदय द्वारा समिति का गठन किए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
14.	अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	
	1. ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं स्नातकोत्तर रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स - "Quality control of Herbal Drugs" पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।	1. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	2. संस्थान में अध्ययनरत स्नातकोत्तर अध्येता शोध कार्य में प्रयुक्त औषधियों की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से परीक्षण किया जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	2. संस्थान में अध्ययनरत स्नातकोत्तर अध्येता शोध कार्य में प्रयुक्त औषधियों की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से परीक्षण किया जाकर शोध प्रबन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

उक्त कार्यवाही विवरण प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया (पृष्ठ संख्या 01 से 12 तक)।

कुलसचिव
(सदस्य सचिव)

Signature valid
Digitally signed by Sohan Lal
Designation: Comptroller Finance
Date: 2026.09.09 12:34:27 IST
Reason: Approved